



दिनांक: 30-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट में 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों पर की जा रही लगातार कार्यवाही के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री त्रिभुवन सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना नानौता पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **अर्जुन पुत्र जयप्रकाश निवासी ग्राम बडौली माजरा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर** को 01 नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0स0 162/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता:-

अर्जुन पुत्र जयप्रकाश निवासी ग्राम बडौली माजरा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

बरामदगी:-

01 नाजायज चाकू

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 59/22 धारा 398/401 भादवि थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 60/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0स0 160/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी:-

1. श्री त्रिभुवन सिंह प्र0नि0 थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. है0का0 729 उपेन्द्र कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1047 सतीश नागर थाना नानौता जनपद सहारनपुर



दिनांक-30.09.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नीरज सिंह के कुशल नेतृत्व में कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 30.09.23 को थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 171/23 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 में वांछित चल रहे अभियुक्त अंशु उर्फ भूरा पुत्र धर्मसिंह निवासी धतौली रांगड थाना कोतवाली देहात सहारनपुर को मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र नागल को कारण गिरफ्तारी बताते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का पालन करते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

➤ अंशु उर्फ भूरा पुत्र धर्मसिंह निवासी धतौली रांगड थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अंशु-

1. मु0अ0सं0 56/23 धारा 420/465 भादवि चालानी थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 41/23 धारा 379/411 चालानी थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 96/23 धारा 379/411 भादवि थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 65/23 धारा 379 /411 भादवि थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 66/23 धारा 379 /411 भादवि थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 117/23 धारा 379/411 भादवि थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड
7. मु0अ0सं0 171/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट चालानी थाना को0नगर स0पुर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री रविन्द्र धामा थाना को0नगर सहारनपुर
2. है0का0 346 हरेन्द्र धामा थाना को0नगर सहारनपुर
3. का0 1179 संजय कुमार थाना को0नगर सहारनपुर
4. का0 1845 रोहित कुमार थाना को0नगर सहारनपुर



दिनांक: 30/09/2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा 10 वारण्टी अभियुक्तगण गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में वांछित/वारण्टी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्र०नि० श्री मनोज कुमार चाहल के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 10 वारण्टी अभियुक्तगण- **1.निसार पुत्र बुद्धू नि० शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं० – 1329/12 धारा 279/337/338/304ए आईपीसी चालानी थाना को०देहात सहारनपुर, 2. आनन्द उर्फ बन्टी पुत्र पाल सिंह निवासी दाबकी जुनारदार थाना कोतवाली देहात सहारनपुर वाद सख्या 1819/14 धारा 323/504 आईपीसी चालानी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर, 3.रहमान पुत्र इकराम कुरैशी नि० घानाखण्डी थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं० – 1339/17 धारा 5/8 सीएस एक्ट चालानी थाना को०देहात सहारनपुर, 4.जावेद पुत्र पाल्ली उर्फ इब्राहिम निवासी उपरोक्त, 5.आमिर पुत्र खुर्शीद निवासी उपरोक्त, 6.इखलाक उर्फ लक्खा पुत्र इकबाल उर्फ बाल्ला निवासी उपरोक्त सम्बन्धित वाद सं० – 1949/21 धारा 307 आईपीसी चालानी थाना को०देहात सहारनपुर, 7.महताब पुत्र अ० रहीम नि० हसनपुर थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं० – 1402/15 धारा 380/411 आईपीसी चालानी थाना को०देहात सहारनपुर, 8.खुर्शीद पुत्र अलीहसन निवासी हसनपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर वाद सख्या 1402/15 धारा 380/411 आईपीसी चालानी थाना को०देहात व वाद सं० 2477/22 धारा 379/411 आईपीसी चालानी थाना गागलहेडी सहारनपुर, 9.धारा सिंह पुत्र सुगन नि० शकलापुरी थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं० – 2210/21 धारा 308 आईपीसी चालानी थाना को०देहात सहारनपुर, 10. इन्तजार पुत्र इकबाल नि० मल्हीपुर सढौली हरिया थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं० – 2428/13 धारा 323/504 आईपीसी चालानी थाना को०देहात सहारनपुर को इनके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।**

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. निसार पुत्र बुद्धू नि० शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर
2. आनन्द उर्फ बन्टी पुत्र पाल सिंह निवासी दाबकी जुनारदार थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
- 3.रहमान पुत्र इकराम कुरैशी नि० घानाखण्डी थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर
- 4.जावेद पुत्र पाल्ली उर्फ इब्राहिम नि० घानाखण्डी थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर
- 5.आमिर पुत्र खुर्शीद नि० घानाखण्डी थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर
6. इखलाक उर्फ लक्खा पुत्र इकबाल उर्फ बाल्ला नि० घानाखण्डी थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर
7. महताब पुत्र अ० रहीम नि० हसनपुर थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर
8. खुर्शीद पुत्र अलीहसन निवासी हसनपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
9. धारा सिंह पुत्र सुगन नि० शकलापुरी थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर
10. इन्तजार पुत्र इकबाल नि० मल्हीपुर सढौली हरिया थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 गुलाब तिवारी थाना को0देहात स0पुर
- 2.उ0नि0 संजय शर्मा थाना को0देहात स0पुर
- 3.उ0नि0 राजकुमार नादर थाना को0देहात स0पुर
- 4.उ0नि0 दीपचन्द यादव थाना को0देहात स0पुर
- 5.उ0नि0 अतुल कुमार थाना को0देहात स0पुर
- 6.है0का0 258 अजीत मलिक थाना को0देहात स0पुर
- 7.है0का0 515 राहुल थाना को0देहात स0पुर
- 8.है0का0 1084 विककी थाना को0देहात स0पुर
- 9.का0 51 नितिन थाना को0देहात स0पुर
10. का0 2161 रवि थाना को0देहात स0पुर
- 11.का0 2255 सोहनवीर थाना को0देहात स0पुर
- 12.का0 2420 विष्णु थाना को0देहात स0पुर
- 13.का0 2232 कुशुमवीर थाना को0देहात स0पुर
- 14.का0 1551 अमित कुमार थाना को0देहात स0पुर
- 15.का0 1448 मोहित थाना को0देहात स0पुर
- 16.का0 2107 रवि राठी थाना को0देहात स0पुर



दिनांक: 30-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 25/09/23 को नाबालिक के साथ दुष्कर्म के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना पर थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 308/23 धारा 376/506 भा0द0वि0 व 3/4 पोक्सो एक्ट दर्ज कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में गठित टीम द्वारा आज दिनांक 30/09/23 को मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त असलम पुत्र उस्मान निवासी मौहल्ला राहिल गार्डन जिकरिया मस्जिद के पास थाना मण्डी सहारनपुर को मुखबिर की सूचना पर जुल्मगढ पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

असलम पुत्र उस्मान निवासी मौहल्ला राहिल गार्डन जिकरिया मस्जिद के पास थाना मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी:-

1. उ0नि0 दीपक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. कां0 473 सोनू कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



दिनांक-30.09.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के 03 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ के कुशल नेतृत्व में टीम गठित की गयी तथा कार्यवाही के क्रम में थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 150/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्तगण 1. नौशाद पुत्र नाजिम निवासी ग्राम ख्वासपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर, 2. अशरफ पुत्र नाजिम निवासी ग्राम ख्वासपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर व 3. आरिफ पुत्र मूदा निवासी ग्राम ख्वासपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर को कारण गिरफ्तारी बताते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का पालन करते हुए ग्राम ख्वासपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

1. नौशाद पुत्र नाजिम निवासी ग्राम ख्वासपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. अशरफ पुत्र नाजिम निवासी ग्राम ख्वासपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

अभियुक्तगण नौशाद व अशरफ का अपराधिक इतिहास:-

➤ मु0अ0स0-295/22 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना मिर्जापुर, सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी:-

1. प्र0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. अति0 निरी0 श्री क्षितिज कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 60 आरिफ थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
4. है0का0 638 प्रमोद थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
5. का0 2219 रोहित कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर



दिनांक: 30.09.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जसवीर सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 30.09.2023 को मा० न्यायालय प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष न० 17 सहारनपुर के वाद सं० 3744/18 मु०अ०सं० 306/12 धारा 3/7 ई०सी० एक्ट, 193 भादवि चालानी थाना नकुड़ जिला सहारनपुर में एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त पंकज सैनी पुत्र पहल सिंह निवासी मौ० बंजारान कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को कारण गिरफ्तारी बताते हुए मा० उच्चतम न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का पालन करते हुए कस्बा नकुड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

पंकज सैनी पुत्र पहल सिंह निवासी मौ० बंजारान कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जसवीर सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ०नि० श्री मौ० जहाँगीर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. हे०का० 558 संदीप कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. हे०का० 660 कपिल कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

प्रेस विज्ञप्ति:

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते अपर जिला सत्र न्यायाधीष एफ0टी0सी0 प्रथम द्वारा अभियुक्त को 5 वर्ष का कारावास व 04 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई: -

अवगत कराना है कि दिनांक 28.10.2015 को वादी उ0नि0 राजकुमार चन्देल पुत्र तेजसिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्त इसरान पुत्र मतलूब निवासी बाढीमाजरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा एक राय होकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करना सरकारी कार्य में बांधा डालना व मौके भाग जाना की सूचना पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 535/2015 धारा 147,148,149,307,353 भादवि पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 2259/2023 पर अपर जिला सत्र न्यायाधीष एफ0टी0सी0 प्रथम जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थाने द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते अपर जिला सत्र न्यायाधीष एफ0टी0सी0 प्रथम जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 30.09.2023 को अभियुक्त इसरान पुत्र मतलूब को जुर्म इकबाल के आधार पर मु0अ0सं0 535/2015 धारा 147,148,149,307,353 भादवि में दोषी पाते हुए 05 वर्ष का कारावास 04 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री सतीश सैनी मो0न0- 9897617859

विवेचक उ0नि0 श्री अजय कुमार गुप्ता

पैरोकार है0का0 593 गौरव कुमार रूहेला थाना गंगोह जनपद सहारनपुर मो0न0- 7055665173



दिनांक: 30-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 04 बैटरी बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 29.09.2023 को वादी शिखा एम. बौद्धा, शाखा प्रबन्धक पंजाब नैशनल बैंक शाखा रिमाउंट डिपो सहारनपुर की तहरीरी सूचना बावत अज्ञात चोर द्वारा जिला अस्पताल सहारनपुर स्थित पंजाब नैशनल बैंक के एटीएम से 04 बैटरी चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 218/23 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना का संज्ञान लेते हुए उक्त घटना का शीघ्र अनावरण करने हेतु निर्देश दिये गये। पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 30.09.23 को अभियुक्त नदीम पुत्र वसीम निवासी न्यू मालवीय नगर थाना को0नगर सहारनपुर को एसबीडी अस्पताल के पीछे जाने वाले रास्ते पर गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मु0अ0सं0 218/23 धारा 379 भादवि में चोरी गयी 04 अद बैटरी बरामद की गयी। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमे में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नदीम पुत्र वसीम निवासी न्यू मालवीय नगर थाना को0नगर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

04 बैटरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उप निरी0 लोकेश कुमार, थाना जनकपुरी स0पुरा
2. का0 2524 सुमित कुमार, थाना जनकपुरी स0पुरा



दिनांक:30.09.23

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट में 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा व 02 जिन्दा

कारतूस 315 बोर एवं 01 नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दोनों अभियुक्तों 1. **भूरा पुत्र इकबाल निवासी ग्राम रसूलपुर टांक थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को 01 तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित सांपला अड्डा से तथा 2. **राहुल पुत्र ऋषिपाल निवासी मौ० कायस्थवाड़ा कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को नाजायज चाकू सहित उर्दू गेट थाना क्षेत्र देवबन्द से कारण गिरफ्तारी बताते हुए मा० उच्चतम न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का पालन करते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त भूरा उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-520/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट एवं अभियुक्त राहुल उपरोक्त के विरुद्ध मु०अ०सं०-521/23 धारा 42/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण भूरा व राहुल ने पूछताछ पर बताया कि हम लोगो डराने धमकाने व दबंगई दिखाने के लिए अपने पास तमंचा व चाकू रखते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- (1) भूरा पुत्र इकबाल निवासी ग्राम रसूलपुर टांक थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- (2) राहुल पुत्र ऋषिपाल निवासी मौ० कायस्थवाड़ा कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त भूरा

- (1) मु०अ०सं०-242/15 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411/420 भादवि चलानी थाना देवबन्द सहारनपुर
- (2) मु०अ०सं०- 241/15 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चलानी थाना देवबन्द सहारनपुर
- (3) मु०अ०सं०- 1305/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चलानी थाना देवबन्द सहारनपुर
- (4) मु०अ०सं०- 774/19 धारा 380/457/511 भा.द.वि चलानी थाना देवबन्द सहारनपुर
- (5) मु०अ०सं०- 270/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट चलानी थाना देवबन्द सहारनपुर
- (6) मु०अ०सं०- 32/21 धारा 60(1) आबकारी अधि० चलानी थाना देवबन्द सहारनपुर
- (7) मु०अ०सं०- 28/23 धारा 3/5ए/8 गौवध अधिनियम थाना देवबन्द सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- (1) उ०नि० श्री विकास चारण थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- (2) उ०नि० मनाजिर हुसैन थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- (3) है०कां० 344 विकास थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- (4) है०कां० 112 चन्द्रदत्त थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- (5) कां० 1434 कासिम थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर



दिनांक: 30-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तरकर गिरफ्तार, कब्जे से 400 ग्राम अवैध चरस बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अवैध नशीली वस्तु विक्रय करने वाले व नशे के कारोबार में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी बेहट सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में एवं थाना प्रभारी बेहट श्री योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.09.2023 को अभियुक्त अर्जुन पुत्र करन सिंह नि० ग्राम मरवा थाना-बेहट जनपद-सहारनपुर मरवा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 400 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई है। बरामदगी के आधार पर थाना बेहट पर मु०अ०स०-428/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया अभियुक्त को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त अर्जुन उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं अनपढ़ हूँ तथा नशे के आदि हूँ इसलिए घर वाले पैसे नहीं देते हैं जिस कारण बाहर से सस्ते दामों में चरस लाकर अधिक दामों में बेच देता हूँ जिससे काफी पैसे मिल जाते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अर्जुन पुत्र करन सिंह नि० ग्राम मरवा थाना-बेहट जनपद-सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० श्री भारत सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. उ०नि० श्री भूपेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
4. का० 2403 अंकित कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
5. का० 1201 सतसिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभि० अर्जुन उपरोक्त:-

1. मु०अ०सं० 464/21 धारा 457/380/411 भादवि ----- थाना बेहट
2. मु०अ०सं० 533/21 धारा 380/411 भादवि चालानी थाना बेहट
3. मु०अ०सं० 77/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना बेहट



दिनांक: 30-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा आमजन के सहयोग से 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया बैटरी व चोरी मे प्रयुक्त टूल्स बरामद ।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 30.09.2023 को ग्राम खिडका भटकवा से वादी श्री मौ० गालिब खान पुत्र असगर खान नि० ग्राम खिडका भटकवा थाना बेहट की स्कूल की बस नं०- UP-11BT-0379 से बैटरी चोरी करते हुए वादी द्वारा अपने साथियों के साथ अभियुक्त गयूर पुत्र फुरकान नि० मौ० फूल कालौनी कस्बा व थाना बेहट जिला सहारनपुर को चोरी किये बैटरी व टूल्स (07 चाबी , एक पैंचकस , एक पिलास व एक पाना) के साथ मौके से पकड़कर थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया । बरामदगी के आधार पर थाना बेहट अभियुक्त गयूर उपरोक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 427/23 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया । अभियुक्त को मा० न्या० के समक्ष पेश किया जा रहा है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. गयूर पुत्र फुरकान नि० मौ० फूल कालौनी कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

चोरी किया हुआ बैटरी AMRON व टूल्स (07 चाबी , एक पैंचकस , एक पिलास व एक पाना)

आपराधिक इतिहास अभि० गयूर:-

1. मु०अ०स०- 181/18 धारा 380 भादवि..... थाना बेहट
2. मु०अ०सं०- 201/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट ... थाना बेहट
3. मु०अ०सं० - 185/22 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट..... थाना बेहट



दिनांक: 30-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा साईबर ठगी के माध्यम से धोखाधड़ी की शिकार हुई 02 महिलाओं के कुल 262000/- रुपये कराये गये वापस।

अवगत कराना है कि वादिनी श्रीमती वैशाली ढींगरा एवं श्रीमती मोनिका देवी द्वारा टैलिग्राम के माध्यम से सम्पर्क में आये 01 अनजान व्यक्ति द्वारा उनके बच्चों को सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर अपने झांसे में लेकर उनसे लगभग 2 लाख 62 हजार रुपये की ठगी करने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मण्डी साईबर सैल टीम द्वारा आनलाईन शिकायत पंजीकृत करवाते हुए अज्ञात फ्राड व्यक्ति के खाते को फ्रीज करवाया गया एवं आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के आदेशानुसार साईबर ठगी के शिकार हुए आमजन की सहायता हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए साईबर ठगी में गये रूपयों को खाता फ्रीज करवाकर लगातार वापस कराया जा रहे हैं, इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना मण्डी के कुशल नेतृत्व में गठित साईबर सैल द्वारा पीडिताओं श्रीमती वैशाली ढींगरा व श्रीमती मोनिका देवी के साथ लगभग 2 लाख 62 हजार रुपये की ठगी के सम्बन्ध में साईबर सैल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए समस्त धनराशि को उक्त अज्ञात व्यक्ति के खाते को फ्रीज कराया गया तथा आवेदिकाओं के सारे पैसे वापस कराये गये।

बरामद की गयी धनराशि का विवरण:-

1. वैशाली ढींगरा की बरामद करायी गयी धनराशि- 84000 रु0
 2. मोनिका देवी की बरामद करायी गयी धनराशि- 178000 रु0
- बरामद करायी गयी कुल धनराशि- 262000 रु0

साईबर सैल टीम थाना मण्डी:-

1. उ0नि0 श्री दीपक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. कम्प्यूटर ऑपरेटर अनुज कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

CAUTION- स्कैमर्स कार्ड स्वैपिंग, फिशिंग स्कैम, OTP इंटरसेप्शन, मैन-इन-द-मिडिल अटैक, विशिंग और OTP फॉरवर्डिंग जैसे तरीकों से लोगों को ठगने का काम करते हैं। जालसाज अलग अलग तरीकों से ओटीपी जानने की कोशिश में लोगों को बेवकूफ भी बनाते हैं। ऐसे में आपको काफी ज्यादा सतर्क भी रहना चाहिए और किसी भी अज्ञान व्यक्ति के साथ ओटीपी या फिर इस तरह की सेंसिटिव जानकारियों को शेयर करने से बचना चाहिए। साथ ही आपको समय समय पर अपने अकाउंट को चेक करते रहना भी जरूरी है।



दिनांक:30.09.23

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट में 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा व 02 जिन्दा

कारतूस 315 बोर एवं 01 नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दोनों अभियुक्तों 1. **भूरा पुत्र इकबाल निवासी ग्राम रसूलपुर टांक थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को 01 तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित सांपला अड्डा से तथा 2. **राहुल पुत्र ऋषिपाल निवासी मौ० कायस्थवाड़ा कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को नाजायज चाकू सहित उर्दू गेट थाना क्षेत्र देवबन्द से कारण गिरफ्तारी बताते हुए मा० उच्चतम न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का पालन करते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त भूरा उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-520/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट एवं अभियुक्त राहुल उपरोक्त के विरुद्ध मु०अ०सं०-521/23 धारा 42/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण भूरा व राहुल ने पूछताछ पर बताया कि हम लोगो डराने धमकाने व दबंगई दिखाने के लिए अपने पास तमंचा व चाकू रखते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- (1) भूरा पुत्र इकबाल निवासी ग्राम रसूलपुर टांक थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- (2) राहुल पुत्र ऋषिपाल निवासी मौ० कायस्थवाड़ा कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त भूरा

- (1) मु०अ०सं०-242/15 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411/420 भादवि चलानी थाना देवबन्द सहारनपुर
- (2) मु०अ०सं०- 241/15 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चलानी थाना देवबन्द सहारनपुर
- (3) मु०अ०सं०- 1305/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चलानी थाना देवबन्द सहारनपुर
- (4) मु०अ०सं०- 774/19 धारा 380/457/511 भा.द.वि चलानी थाना देवबन्द सहारनपुर
- (5) मु०अ०सं०- 270/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट चलानी थाना देवबन्द सहारनपुर
- (6) मु०अ०सं०- 32/21 धारा 60(1) आबकारी अधि० चलानी थाना देवबन्द सहारनपुर
- (7) मु०अ०सं०- 28/23 धारा 3/5ए/8 गौवध अधिनियम थाना देवबन्द सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- (1) उ०नि० श्री विकास चारण थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- (2) उ०नि० मनाजिर हुसैन थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- (3) है०कां० 344 विकास थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- (4) है०कां० 112 चन्द्रदत्त थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- (5) कां० 1434 कासिम थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर



दिनांक: 30-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले 01 मनचले
अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व महिलाओं की सुरक्षा के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा गुघाल मेले में आने जाने वाली महिलाओं पर अश्लील व अशोभनीय टिप्पणी करने वाले एक मनचले अभियुक्त **मोहसीन पुत्र नसीम निवासी मौहल्ला बंजारान थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को दिनांक 29.09.2023 की रात्रि में कारगिल गेट के पास से कारण गिरफ्तारी बताते हुए मा० उच्चतम न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का पालन करते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 281/23 धारा 294 भादवि बनाम मोहसीन के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त मोहसीन के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मोहसीन पुत्र नसीम निवासी मौहल्ला बंजारान थाना नकुड जनपद सहारनपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० श्री विजय सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. का० 1105 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. का० 372 कपिल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर



दिनांक: 30-09-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 NBW वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वारण्टी/वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में लम्बित एनबीडब्ल्यू वारण्ट के निस्तारण हेतु थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 30.09.2023 को वारण्टी अभियुक्त गुलशेर पुत्र ताहिर हसन निवासी मेघछप्पर थाना कुतुबशेर सहारनपुर सम्बन्धित एनबीडब्ल्यू व 82 सीआरपीसी वाद सं0 353/14 धारा 307 भादवि थाना जनकपुरी (मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहारनपुर) को कारण गिरफ्तारी बताते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का पालन करते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गुलशेर उपरोक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता –

गुलशेर पुत्र ताहिर हसन निवासी मेघछप्पर थाना कुतुबशेर सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 दीपक कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. है0का0 453 प्रवीण कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर



दिनांक:30-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में फरार चल रहा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी बेहट सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना बेहट के कुशल नेतृत्व में दिनांक 30.12.2022 को थाना बेहट पर पंजीकृत मु0अ0स0 681/22 धारा 420/467/468/471/120बी/506 भादवि में फरार चल रहे अभियुक्त मौ0 मिया उर्फ सावेज उर्फ बिल्डर पुत्र मौ0 नूर मोहम्मद नि0 चौधरी विहार थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर को आज दिनांक 30.09.23 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त वांछित का नाम व पता:-

मौ0 मिया उर्फ सावेज उर्फ बिल्डर पुत्र नूर मोहम्मद नि0 चौधरी विहार कालौनी थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आजम:-

1. मु0अ0स0 681/22 धारा 420/468/467/471/120बी/506 भादवि ----- बेहट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री मेहर सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 521 सुनील राणा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
4. का0 1594 मोहित धामा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक: 30.09.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा पशु चोरी के मुकदमों में वांछित चल रहा शातिर
पशु चोर गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा/01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 2000/- रुपये
नकद व अभियुक्त की निशादेही पर 01 चार पहिया वाहन बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 19.06.2023 को वादी श्री जवल सिंह पुत्र रुढ़ा सिंह निवासी ग्राम चमारीखेड़ा, थाना फतेहपुर, सहारनपुर द्वारा अपनी भैंस चोरी हो जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 114/2023 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया। दिनांक 14.08.2023 को वादी आजम पुत्र याकूब निवासी ग्राम फरकपुर नवादा पो0 मुसैल थाना फतेहपुर, सहारनपुर द्वारा उसके घर से अज्ञात चोरों द्वारा एक भैंस, दो कटिया, दो बकरी एवं एक बकरा (कुल-06 पशु) चोरी के सम्बन्ध में लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 143/23 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त पशु चोरी की घटनाओं का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान दिनांक 29.09.2023 को उपरोक्त मुकदमों में वांछित चल रहे अभियुक्त **फैजान पुत्र जब्बार उर्फ बुद्धु फिल्टर नि0 ग्राम गन्देवड़ा, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर** को कारण गिरफ्तारी बताते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का पालन करते हुए ग्राम गन्देवड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त फैजान उपरोक्त के कब्जे से 01 तमंचा/01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 2000/- रुपये नकद व अभियुक्त की निशादेही पर 01 बैगनार कार नं0 UP11AL 3936 को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त फैजान ने पूछताछ पर बताया कि मैं और मेरे साथी पुरानी कार कबाड़ी से खरीद कर पशु चोरी की घटनाएं करते हैं, यदि पकड़े जायें या गाड़ी को छोड़ कर भागना पड़े तो ज्यादा नुकसान ना हो और गाड़ी के नम्बर से हमारी शिनाख्त ना हो पाये। मैं और मेरे साथियों ने दिनांक 18/19.06.2023 की रात में गांव चमारीखेड़ा से एक घर से ताला तोड़कर एक भैंस चोरी की थी और उसको देहरादून की ओर एक पशु पैठ में बेच कर सारा पैसा आपस में बांट लिया था। जिसमें से खर्च के बाद बचे 2000 रुपये आज मेरे पास से मिले हैं। इस घटना में मेरी वैगनआर कार नम्बर यूपी11एल3936 को लेकर गये थे, कार मैंने अपने घर के सामने से बरामद करा दी है आज मैं और मेरे 02 साथी फिर से जानवर चोरी करने के लिये दूसरी कार किसी कबाड़ी से खरीदने के बारे में बात करने के लिए अपने साथी के घर पर एकत्र हुए थे कि तभी शोर मचा तो हम घर से निकल कर भागे और मुझे मेरे साथी के घर के सामने से एक तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस के पकड़ा लिया साथ ही बताया कि दिनांक 13/14.08.2023 की रात्रि में गाँव फरकपुर नवादा में एक घर से कुल 06 पशु जिनमें 01 भैंस, 02 बकरी, 01 बकरा व 02 छोटी कटिया को चोरी किया था चोरी करने के लिये अपने अपनी बैगनार कार से गये थे पशु ज्यादा होने की वजह से एक पिकअप जिसके ड्राइवर का नाम कल्लू था और वह देहरादून की तरफ कहीं का रहने वाला था को अपने पशु बताकर लदवाकर ले गये थे और उनको भी देहरादून की ओर पशु पैठ में बेच आये थे पिकअप का नम्बर जानकारी की गयी तो बताया कि अब हमें उस पिकअप का नम्बर याद नहीं है। उक्त दोनो घटनाओं में चोरी किये हुये पशुओं को खरीदने वाले व्यक्तियों के बारे में जानकारी की गयी तो बताया कि वह तो पैठ में आये हुए अनजान लोग थे हमने बिना नाम पता पूछे ओने-पोने दामों में बेचकर भाग आये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फैजान पुत्र जब्बार उर्फ बुद्धु फिल्टर नि0 ग्राम गन्देवड़ा, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 01 अदद तमंचा/ 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 2000 रुपये
- 01 बैगनार कार नं0 UP11AL 3936

अभियुक्त फैजान का आपराधिक इतिहास:-

- 1.मु0अ0सं0 132/2009 धारा 11घ पशु क्रूरता अधि0, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर
- 2.मु0अ0सं0 218/2009 धारा 3,8 गौवध निवारण अधिनियम थाना बिहारीगढ़, जनपद सहारनपुर
- 3.मु0अ0सं0 103/2010 धारा 11घ पशु क्रूरता अधि0, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर,
- 4.मु0अ0सं0 134/2010 धारा 25/4 शस्त्र अधिनियम, थाना बिहारीगढ़, जनपद सहारनपुर,
- 5.मु0अ0सं0 17/2016 धारा 380,511 भादवि, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर,
- 6.मु0अ0सं0 30/2016 धारा 457,380,411 भादवि, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर,
- 7.मु0अ0सं0 39/2016 धारा 307 भादवि व 3,5क,8 गौवध निवारण अधि0, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर,
- 8.मु0अ0सं0 59/2016 धारा 147,148,149,332,353,224,34 भादवि व 07 सीएमए, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर,
- 9.मु0अ0सं0 61/2016 धारा 307 भादवि, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर,
- 10.मु0अ0सं0 01/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर,
- 11.मु0अ0सं0 119/2017 धारा 379 भादवि, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर,
- 12.मु0अ0सं0 240/2017 धारा 25 शस्त्र अधि0, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर,
- 13.मु0अ0सं0 241/2018 धारा 3,8 गौवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर,
- 14.मु0अ0सं0 125/2019 धारा 307 भादवि, थाना बिहारीगढ़, जनपद सहारनपुर,
- 15.मु0अ0सं0 127/2019 धारा 3/25 शस्त्र अधि0, थाना बिहारीगढ़, जनपद सहारनपुर,
- 16.मु0अ0सं0 135/2019 धारा 457,380 भादवि, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर,
- 17.मु0अ0सं0 434/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर,
- 18.मु0अ0सं0 455/2019 धारा /25 शस्त्र अधि0, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर,
- 19.मु0अ0सं0 491/2020 धारा 3,5,25 शस्त्र अधि0, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर,
- 20.मु0अ0सं0 52/2022 धारा 457,380 भादवि, थाना मुनक, जनपद करनाल (हरियाणा),
- 21.मु0अ0सं0 54/2022 धारा 457,380 भादवि, थाना मुनक, जनपद करनाल (हरियाणा),
- 22.मु0अ0सं0 95/2022 धारा 457,380 भादवि, थाना निसिंग, जनपद करनाल (हरियाणा),
- 23.मु0अ0सं0 141/2022 धारा 457,380 भादवि, थाना असध, जनपद करनाल (हरियाणा),
- 24.मु0अ0सं0 142/2022 धारा 457,380 भादवि, थाना असध, जनपद करनाल (हरियाणा),
- 25.मु0अ0सं0 173/2022 धारा 457,380 भादवि, थाना असध, जनपद करनाल (हरियाणा),
- 26.मु0अ0सं0 23/2023 धारा 3,5क,8 गौवध निवा0 अधि0, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर,
- 27.मु0अ0सं0 114/2023 धारा 380,411 भादवि, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर,
- 28.मु0अ0सं0 143/2023 धारा 380 भादवि, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री प्रमोद कुमार, थानाध्यक्ष थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नवीन कुमार सैनी थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. है0का0 610 विपिन राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. का0 2327 सतीश थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर